रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255516
CG-DL-E-18072024-255516

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946
No. 378] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

## संचार मंत्रालय

## (दूरसंचार विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

## दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2024

**सा.का.नि. 415(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप नियम जिसे केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यग), (यघ), (यङ), (यच) के साथ पठित, धारा 37 के साथ पठित, धारा 36 के साथ पठित, धारा 35 के साथ पठित धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा अधिसूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई, आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 को भेजा जा सकता है;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

## अध्याय 1: प्रारंभिक

### 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

### 2. परिभाषाएँ

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

क) **"अधिनियम"** से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

ख) "**न्यायनिर्णयन अधिकारी"** से अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

ग) **"अपीलकर्ता"** से व्यथित व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध नियम 6 अथवा नियम 9 के अधीन आदेश पारित किया गया है, जो नियम 10 के अधीन नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपील करता है;

घ) **"नामोद्दिष्ट अपील समिति"** से अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नामोद्दिष्ट अपील समिति अभिप्रेत है;

ङ) **"प्रपत्र"** से केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र अभिप्रेत है;

च) **"पोर्टल"** से इन नियमों के नियम 20 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल अभिप्रेत है;

छ) **"नियम"** से दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2024 अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में है।

### 3. न्यायनिर्णयन अधिकारियों की नियुक्ति और क्षेत्राधिकार

(1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगी।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारियों के क्षेत्राधिकार को, ऐसे अधिकारियों के सम्पर्क विवरण सहित, समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(3) जहां कोई न्यायनिर्णयन अधिकारी किसी कारणवश पद छोड़ता है, वहां केन्द्रीय सरकार अधिकारी के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(4) प्रत्येक न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास उनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक सचिवालय होगा।

### 4. नामोद्दिष्ट अपील समिति की नियुक्ति और अधिकार क्षेत्र

(1) केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के किसी भी अधिकारी को, जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक नामोद्दिष्ट अपील समिति की नियुक्त करेगी।

(2) नामोद्दिष्ट अपील समिति के क्षेत्राधिकार को, ऐसी समिति के सम्पर्क विवरण सहित, समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

(3) जहां नामोद्दिष्ट अपील समिति का कोई सदस्य किसी कारणवश पद छोड़ता है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे सदस्य के कार्यों को पूरा करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को नियुक्त करेगी।

(4) प्रत्येक नामोद्दिष्ट अपील समिति के पास उनके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए एक सचिवालय होगा।

## अध्याय 2: न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष कार्यवाही

### 5. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच

(1) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास *स्वप्रेरणा से* यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकार या समनुदेशन के निबंधन और शर्तों का उल्लंघन हुआ है, वहां वह ऐसे उल्लंघन के लिए आरोपित व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा कि अधिनियम की धारा 32 के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए जिसमें नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा, जो नोटिस दिए जाने की तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिनों से कम नहीं होगी।

(2) जहां न्यायनिर्णयन अधिकारी के पास, या तो *स्वप्रेरणा से* अथवा उप-नियम (3) के अधीन प्राप्त शिकायत के *प्रथम दृष्टया* आकलन के आधार पर यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अधिनियम की तीसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट उल्लंघन हुआ है, वहां वह ऐसे उल्लंघन के लिए आरोपित व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा कि अधिनियम की धारा 33 के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों न की जाए जिसमें नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहा जाएगा, जो नोटिस दिए जाने की तिथि से पंद्रह कैलेंडर दिनों से कम नहीं होगी।

(3) अधिनियम की तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट किसी उल्लंघन से संबंधित शिकायत को किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष पांच हजार रुपए के शुल्क के साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रारूप में दाखिल किया जा सकता है और उसके साथ केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा जारी शिकायतकर्ता का पहचान प्रमाण और कथित उल्लंघन के समर्थन में विशिष्ट साक्ष्य को भी संलग्न किया जाएगा। शिकायतकर्ता के यथानिर्दिष्ट शुल्क या अपेक्षित पहचान प्रमाण या कथित उल्लंघन के सहायक साक्ष्य के बिना प्रस्तुत की गई किसी भी शिकायत पर न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2), जैसा भी मामला हो, के तहत जारी नोटिस में ऐसे व्यक्ति द्वारा कथित रूप से भंग किए गए या उल्लंघन के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, निदेशों, आदेशों या किसी भी निबंधन और शर्तों के प्राधिकार या समनुदेशन, जिसमें नियम भंग या उल्लंघन होने का आरोप है, को भी निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है वह उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर न्यायनिर्णयन अधिकारी को लिखित उत्तर भेजेगा। यदि ऐसी समयावधि के भीतर कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने यथास्थिति नियम भंग या उल्लंघन को स्वीकार कर लिया है और न्यायनिर्णयन अधिकारी नियम 6 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश जारी करेगा।

(6) उप-नियम (5) के तहत यदि कोई हो, लिखित उत्तर प्राप्त होने पर न्यायनिर्णयन अधिकारी अभिनिर्धारित करेगा कि इस संबंध में आगे कार्यवाही की जानी अपेक्षित है या नहीं। यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी अभिनिर्धारित करता है कि मामले में आगे कार्यवाही आवश्यक है तो वह व्यक्तिगत रूप से या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उस व्यक्ति को न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तारीख नियत करते हुए नोटिस जारी करेगा।

(7) उपनियम (6) के अधीन नियत तारीख को वह व्यक्ति, स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करेगा और जांच की विषय-वस्तु से संबंधित दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी को व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें शामिल हैं: (i) साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने की शक्ति (ii) दस्तावेजों की डिस्कवरी ऑफ इन्स्पेक्शन की आवश्यकता (iii) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना (iv) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ माँगना (v) अंतरिम आदेश जारी करना (vi) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों

को ध्यान में रखते हुए उचित समझे जाने पर लागत अधिरोपित करना। न्यायनिर्णयन अधिकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (वर्ष 2023 का 47) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का 5) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) यदि कोई व्यक्ति उप-नियम (7) के तहत दी गई अपेक्षित तारीख को उपस्थित होने में विफल होता है, उपेक्षा करता है या उपस्थित होने से इनकार करता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारणों को दर्ज करने के बाद न्यायनिर्णयन कार्यवाही को आगे बढ़ा सकता है।

**6 न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश**

(1) यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी आश्वस्त हो जाता है कि अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकार या समनुदेशन के निबंधन और शर्तें भंग नहीं हुई हैं, या अधिनियम की तीसरी अनुसूची में यथा निर्दिष्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी इसके कारणों को दर्ज करके एक आदेश पारित करेगा और जांच को बंद कर देगा।

(2) प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने पर यदि न्यायनिर्णयन अधिकारी आश्वस्त है कि व्यक्ति ने अधिनियम के तहत उल्लंघन किया है तो न्यायनिर्णयन अधिकारी:

(क) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के उपखंड (क) या अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1), जैसा भी मामला हो, के अधीन आदेश पारित करेगा; या

(ख) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के उपखंड (ख) के तहत केंद्र सरकार को सिफारिशें करेगा।

(3) उप-नियम (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश या सिफारिश में अधिनियम के प्रावधान, नियम, अधिसूचनाएं, निदेश, आदेश, या प्राधिकार या समनुदेशन के कोई निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट होंगी जिनके संबंध में निबंधन और शर्तें भंग या उनका उल्लंघन हुआ है और ऐसे लिए गए निर्णय हेतु कारण शामिल होंगे।

(4) यदि उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत किए गए आदेश अधिनियम की दूसरी या तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कोई दंड लगाता है, तो न्यायनिर्णयन अधिकारी का सम्यक ध्यान रखेगा:

(क) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (3) के कारक; और

(ख) अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (5) सह-पठित नियम 8 के तहत प्रस्तुत कोई स्वैच्छिक अंडरटेकिंग।

(5) उप-नियम (2) के खंड (क) के तहत दिए गए आदेश द्वारा किसी प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती पर लगाया गया कोई भी जुर्माना, मुआवजे के भुगतान या ऐसी प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती द्वारा देय फीस या शुल्क के भुगतान के संबंध में किसी भी दायित्व के अतिरिक्त होगा।

(6) न्यायनिर्णयन अधिकारी सामान्यतः नियम 5 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर नियम 5 के तहत जांच समाप्त करेगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी लिखित रूप में ठोस कारणों को दर्ज करने पर नियम 5 के उप नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत नोटिस जारी करने की तारीख से ऐसी अवधि को एक सौ बीस दिनों तक के लिए आगे बढ़ा सकता है।

(7) उपनियम (2) के उपखंड (क) के अधीन दिए गए आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी जिसके विरुद्ध नियम 19 के अनुसार आदेश जारी किया गया है।

**7 न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच शुरू करने से पहले स्वैच्छिक अंडरटेकिंग**

(1) कोई भी प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती, नियम 5 के तहत जांच के किसी भी नोटिस से पहले धारा 34 की उप-धारा (1) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी को स्वप्रेरणा से एक स्वैच्छिक अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर सकता है जिसमे हुए नियम भंग या उल्लंघन का खुलासा कर सकता है और अधिनियम की धारा 34 की उपधारा

(6) के तहत निर्दिष्ट कोई भी अंडरटेकिंग सहित इस तरह के नियम भंग या उल्लंघन को कम करने के लिए किए गए या प्रस्तावित उपाय शामिल कर सकता है।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी स्वैच्छिक अंडरटेकिंग को स्वीकार कर सकता है या अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (7) के अधीन ऐसी स्वैच्छिक अंडरटेकिंग में शामिल शर्तों को बदल सकता है। स्वैच्छिक अंडरटेकिंग की स्वीकृति पर तब तक कोई कार्यवाही या कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि इस तरह की स्वैच्छिक अंडरटेकिंग का अनुपालन न किया गया हो।

**8. न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा जांच आरंभ करने के बाद स्वैच्छिक अंडरटेकिंग**

(1) नियम 5 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत नोटिस जारी करने के बाद और नियम 5 के उप-नियम (7) के तहत सुनवाई पूरी होने से पहले किसी भी समय, प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती, अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (4) के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी को स्वैच्छिक अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर सकता है जिसमें अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (6) के तहत निर्दिष्ट किसी भी अंडरटेकिंग सहित उल्लंघन या अतिक्रमण को दूर करने के लिए प्रस्तावित शमन उपायों को स्पष्ट किया जाएगा।

(2) न्यायनिर्णयन अधिकारी स्वैच्छिक अंडरटेकिंग को स्वीकार कर सकता है अथवा अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (7) के अध्यधीन ऐसे स्वैच्छिक अंडरटेकिंग में सम्मिलित निबंधनों में परिवर्तन कर सकता है।

**9. स्वैच्छिक अंडरटेकिंग का गैर-अनुपालन**

(1) जहां कोई प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती समनुदेशिती नियम 7 या नियम 8 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन अधिकारी द्वारा स्वीकार किए गए स्वैच्छिक अंडरटेकिंग के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, न्यायनिर्णयन अधिकारी ऐसी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (8) के अंतर्गत कार्रवाई क्यों न की जाए।

(2) प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती जैसा भी मामला हो, ऐसे नोटिस का प्रत्युत्तर ऐसे नोटिस के जारी होने की तारीख से सात दिनों के भीतर देगा।

(3) यदि प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने गैर-अनुपालन को स्वीकार कर लिया है और न्यायनिर्णयन अधिकारी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (8) के तहत आदेश जारी कर सकेंगे।

(4) यदि प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर प्रत्युत्तर प्रस्तुत करता है तो न्यायनिर्णयन अधिकारी अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (8) के तहत आदेश जारी करते समय इस प्रकार के प्रत्युत्तर पर विचार करेगा।

## अध्याय 3: नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपील

**10. नामोद्दिष्ट अपील समिति से अपील**

(1) नियम 6 या नियम 9 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में उस आदेश की प्रति के साथ जिसके निमित अपील की मांग की गई है, अपील प्रस्तुत कर सकता है। इस अपील के साथ दस हजार रुपए का शुल्क संलग्न किया जाएगा जो विनिर्दिष्ट मोड से देय होगा।

(2) इस अपील में संक्षिप्त रूप से तथा अलग-अलग शीर्षकों के अंतर्गत उस आदेश के निमित आपत्ति के आधार बताए जाएंगे, जिस तारीख को ऐसा आदेश अपीलकर्ता को दिया गया था तथा ई-मेल पते के साथ-साथ उस मूल पते का भी उल्लेख करना होगा जिस पर अपीलकर्ता को आगे की नोटिस या अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा सकेंगी।

(3) अपीलकर्ता को दी जाने वाली कोई भी नोटिस अपील में निर्दिष्ट पते पर नियम 19 में विनिर्दिष्ट तरीके से दी जाएगी।

(4) अपील प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार के विलंब की स्थिति में नामोद्दिष्ट अपील समिति लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए अपील प्रस्तुत करने में अधिकतम तीस कैलेंडर दिनों तक के विलंब को माफ कर सकती है या विलंब के कारण अपील पर विचार करने से इंकार कर सकती है।

**11. नामोद्दिष्ट अपील समिति द्वारा अपील की सुनवाई की कार्यवाही**

(1) अपील प्राप्त होने पर नामोद्दिष्ट अपील समिति अपील की प्रति उस आदेश की प्रति के साथ जिसके निमित अपील की गई है उस न्यायनिर्णयन अधिकारी जिसने ऐसा आदेश पारित किया था या उस न्यायनिर्णयन अधिकारी को जो ऐसे आदेश पारित करने वाले न्यायनिर्णयन अधिकारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है को भेजेगी।

(2) इसके बाद नामोद्दिष्ट अपील समिति अपीलकर्ता और न्यायनिर्णयन अधिकारी को नोटिस जारी कर अपील की सुनवाई की तारीख तय करेगी।

(3) नामोद्दिष्ट अपील समिति को व्यवहार न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं जिनमें शामिल हैं:

(i) साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज या वस्तु प्रस्तुत करने के लिए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उपस्थिति के लिए बाध्य करने की शक्ति (ii) दस्तावेजों की डिस्कवरी ऑफ इन्स्पेक्शन आवश्यकता (iii) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना (iv) किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ माँगना (v) अंतरिम आदेश जारी करना (vi) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे जाने पर लागत अधिरोपित करना। न्यायनिर्णयन अधिकारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(4) अपीलकर्ता, नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने, दलील देने तथा कार्य करने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है।

(5) अपील की सुनवाई के लिए नियत तारीख या किसी अन्य दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जा सकती है, को अपीलकर्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ न्यायनिर्णयन अधिकारी की भी सुनवाई की जाएगी।

(6) जहां नियत तारीख या किसी अन्य दिन जिसके लिए अपील की सुनवाई स्थगित की जा सकती है, को यदि अपीलकर्ता या न्यायनिर्णयन अधिकारी अपील की सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो नामोद्दिष्ट अपील समिति, अपीलकर्ता के लिखित प्रस्तुतीकरण और रिकॉर्ड पर न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश के आधार पर ऐसी अपील की तारीख से साठ दिनों के भीतर अपील का फैसला कर सकती है।

**12. नामोद्दिष्ट अपील समिति का आदेश**

(1) नामोद्दिष्ट अपील समिति का आदेश लिखित में होगें और उसमें निर्णय के कारणों का संक्षेप में उल्लेख होगा तथा उसे नियम 19 के अंतर्गत अपीलकर्ता को भेजा जाएगा।

(2) नामोद्दिष्ट अपील समिति द्वारा प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती पर लगाया गया कोई जुर्माना ऐसे प्राधिकृत संस्था या समनुदेशिती द्वारा देय मुआवजे या शुल्क या प्रभार के भुगतान के संबंध में किसी देयता के अतिरिक्त होगा।

## अध्याय 4: विविध प्रावधान

**13. न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष कार्यवाही**

न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामोद्दिष्ट अपील समिति के पास व्यवहार न्यायालय के समान शक्तियां होंगी और इसके समक्ष सभी कार्यवाही अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (2) के अनुसार न्यायिक कार्यवाही मानी जाएंगी।

**14. पक्षों का प्रतिनिधित्व**

न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष कार्यवाही के मामले में **यदि** पक्ष का प्रतिनिधित्व उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है तो प्रतिनिधि के पक्ष में इस तरह के प्राधिकरण की एक प्रति और ऐसे अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित सहमति भी नोटिस या अपील की प्रतिक्रिया के साथ जैसा भी मामला हो, संलग्न किया जाएगा और यदि अधिकृत प्रतिनिधि पक्ष का कर्मचारी है तो दस्तावेज़ उस पक्ष की हैसियत को बताएगा जिसमें वह कर्मचारी तैनात है।

**15. न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष असत्य साक्ष्य देना**

कोई भी न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष किसी भी कार्यवाही में जानबूझकर गलत साक्ष्य देता है या किसी भी कार्यवाही में उपयोग किए जाने के प्रयोजनों के लिए असत्य साक्ष्य गढ़ता है वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) की धारा 229 के अनुसार दंडनीय होगा।

**16 भारत की समेकित निधि**

अधिनियम की धारा 32 या धारा 33 के तहत और इन नियमों के तहत जुर्माना और शुल्क की वसूली के माध्यम से सभी राशियां भारत की समेकित निधि में जमा की जाएंगी।

**17 कार्यवाही का कोई उपसमन नहीं**

यदि कोई आरोपित व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है या उस अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या कोई कंपनी बंद हो जाती है जैसा भी मामला हो तो न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के समक्ष यह कार्यवाही समाप्त नहीं की जाएगी और ऐसे व्यक्ति के निष्पादक, प्रशासक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि द्वारा जारी रखा जाएगा।

**18 गलती या त्रुटि में सुधार**

इन नियमों के नियम 6, नियम 9 या नियम 12 के तहत आदेश जारी होने के पश्चात् यदि ऐसे आदेश में कोई गलती या कोई त्रुटि स्पष्ट है तो यथास्थिति, न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति शीघ्रातिशीघ्र *स्वतः संज्ञान* से ऐसे व्यक्ति के आवेदन पर जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश पारित किया गया था, ऐसी गलती या त्रुटि में सुधार कर सकते हैं।

**19 नोटिस देना और आदेशों को जारी करना**

इन नियमों के तहत जारी किए गए नोटिस किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से दिया जाएगा:

क) ईमेल पत्राचार के माध्यम से उस व्यक्ति या उसके विधिवत अधिकृत व्यक्ति को नोटिस देना; या

ख) उसके निवास स्थान या उसके अंतिम ज्ञात स्थान या निवास स्थान या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से कार्य किया हो या लाभ कमाने हेतु अंतिम बार कार्य किया हो उस पते पर पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजना; या

ग) परिसर जहाँ व्यक्ति निवास करता हो या जो उसके अंतिम निवास स्थान के रूप में जाना जाता हो या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से कार्य करता हो या लाभ कमाने के हेतु अंतिम बार कार्य किया हो के बाहरी दरवाजे या किसी अन्य विशिष्ट भाग में चिपकाया जाएगा तथा इस प्रकार की लिखित रिपोर्ट के दो गवाह होने चाहिए; या

घ) यदि नोटिस खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के तहत नोटिस जारी नहीं किया गया है तो उस क्षेत्र या क्षेत्राधिकार के प्रसार वाले क्षेत्र के मुख्य समाचार पत्र (स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों में) में प्रकाशित करके जिसमें व्यक्ति निवास करता हो या अंतिम निवास स्थान के रूप में जाना जाता हो या व्यवसाय या व्यक्तिगत रूप से कार्य किया हो या लाभ कमाने हेतु अंतिम बार कार्य किया हो।

ङ) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा जारी करना।

**20 तकनीकी-कानूनी उपाय**

1) केंद्र सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें शामिल हैं:

   क) पोर्टल पर अधिसूचना जारी करने के पश्चात शिकायतों, अपीलों, स्वैच्छिक उपक्रमों, नोटिस, प्रतिक्रियाओं, दस्तावेजों और स्पष्टीकरण, और प्रपत्रों को प्रस्तुत करना जो इस तरह के आवेदन के संबंध में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं;

   ख) न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के कार्यालयों से संचार;

   ग) न्यायनिर्णयन अधिकारी या नामोद्दिष्ट अपील समिति के आदेशों का प्रकाशन;

   घ) (आभासी) वर्चुअल मोड द्वारा सुनवाई; और

   ङ) इन नियमों के तहत मामलों, कार्यवाही, आदेशों, फॉर्म और किसी भी अन्य अपेक्षाओं का रिकॉर्ड बनाए रखना।

2) पोर्टल पर अधिसूचना जारी करने के पश्चात न्यायनिर्णयन अधिकारी और नामोद्दिष्ट अपील समिति के आदेश डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे और सभी पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अवगत कराए जाएंगे।

**21 प्रवर्तन**

(1) नियम 6 या नियम 9 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी या नियम 12 के तहत नामोद्दिष्ट अपील समिति द्वारा दिया गया कोई आदेश उसी तरीके से निष्पादित किया जाएगा जब वह अधिनियम की धारा 38 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यवहार न्यायालय की डिक्री हो।

(2) नियम 6 या नियम 9 के तहत न्यायनिर्णयन अधिकारी या नियम 12 के तहत नामोद्दिष्ट अपील समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को अधिनियम की धारा 36 और धारा 39 में प्रदत आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमत अवधि की समाप्ति पर अंतिम डिक्री माना जाएगा।

**22 बकाया राशि की वसूली**

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के तहत देय कोई राशि यदि भुगतान नहीं की जाती है तो भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

[फा. सं. 24-02/2024- यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

**(Department of Telecommunications)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th July, 2024

**The Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2024**

**G.S.R. 415(E).—**The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 33, read with section 35, read with section 36, read with section 37, read with clauses (zc), (zd), (ze), (zf) to sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

**CHAPTER 1: PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement**

(1) These rules may be called the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions**

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

a) **"Act"** means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

b) **"Adjudicating Officer"** means an officer appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 35 of the Act;

c) **"Appellant"** means an aggrieved person against whom an order was passed under rule 6 or rule 9, who makes an appeal before the Designated Appeals Committee under rule 10;

d) **"Designated Appeals Committee"** means the Designated Appeals Committee appointed by the Central Government under sub-section (1) of section 36 of the Act;

e) **"Form"** means a form specified by the Central Government from time to time;

f) **"Portal"** means the portal notified by the Central Government under rule 20 of these rules;

g) "**Rules**" means the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2024.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.

**3. Appointment and Jurisdiction of Adjudicating Officers**

(1) The Central Government may, by an order published in the Official Gazette, appoint any officer of the Central Government under sub-section (1) of section 35 of the Act, as it may deem fit, as one or more Adjudicating Officers.

(2) The jurisdiction of Adjudicating Officers, along with contact details of such officers, shall be as notified from time to time.

(3) Where any Adjudicating Officer, has demitted office for any reason, the Central Government shall appoint such other officer to carry out the functions of the Adjudicating Officer.

(4) Each Adjudicating Officer shall have a secretariat to assist in its functioning.

**4. Appointment and Jurisdiction of Designated Appeals Committee**

(1) The Central Government may, by an order published in the Official Gazette, appoint officers of the Central Government, under sub-section (1) of section 36 of the Act, as it may think fit, as members of one or more Designated Appeals Committee.

(2) The jurisdiction of the Designated Appeals Committee, along with contact details of members of such committee, shall be as notified from time to time.

(3) Where any member of the Designated Appeals Committee has demitted office for any reason, the Central Government shall appoint such other officer to carry out the functions of such member.

(4) Each Designated Appeals Committee shall have a secretariat to assist in its functioning.

## CHAPTER 2: PROCEEDINGS BEFORE THE ADJUDICATING OFFICER

**5. Inquiry by the Adjudicating Officer**

(1) Where an Adjudicating Officer has, *suo moto*, reasonable grounds to believe that there has been a breach of terms and conditions of authorisation or assignment under sub-section (1) of section 32 of the Act, he shall issue a notice to the person alleged to have committed such breach, to show cause within such period as may be specified in the notice, being not less than fifteen calendar days from the date of service thereof, as to why action should not be taken under section 32 of the Act.

(2) Where an Adjudicating Officer has reasonable grounds to believe, either *suo moto*, or upon a *prima facie* assessment of a complaint received under sub-rule (3), that there has been a contravention as specified in the Third Schedule of the Act, he shall issue a notice to the person alleged to committed such contravention, to show cause within such period as may be specified in the notice, being not less than fifteen calendar days from the date of service thereof, as to why action should not be taken under section 33 of the Act.

(3) A complaint relating to any contravention as specified in the Third Schedule of the Act, may be filed before the Adjudicating Officer by any person, along with fees of five thousand rupees, in such form as may be specified by the Central Government and shall be accompanied by identity proof of the complainant issued by the Central or State Government, and specific evidence supporting such alleged contravention. Any complaint submitted without the fees as specified herein or the requisite identity proof of the complainant or supporting evidence of alleged contravention, shall not be considered by the Adjudicating Officer.

(4) The notice issued under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, shall specify the breach or contravention alleged to have been committed by such person, along with the provisions of the Act, rules, regulations, notifications, directions, orders or any terms and conditions of authorisation or assignment, in respect of which breach or contravention is alleged to have taken place.

(5) The person to whom notice is issued, shall send a written response to the Adjudicating Officer, within the time period specified in such notice. If no response is received within such time period, such person shall be deemed to have accepted the breach or contravention, as the case may be, and the Adjudicating Officer shall proceed to issue an order under rule 6.

(6) Upon receipt of the written response, if any, under sub-rule (5), the Adjudicating Officer shall make a determination as to whether further proceeding is warranted or not. If the Adjudicating Officer determines that further proceeding in the matter is warranted, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person, either personally or through its authorised representative, before the Adjudicating Officer.

(7) On the date fixed under sub-rule (6), such person, either by itself or through its authorised representative, shall present its case and produce such documents or evidence as relevant to the subject matter of the inquiry. The Adjudicating Officer is vested with the powers of a civil court including : (i) the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document or things, (ii) requiring the discovery of inspection of documents, (iii) receiving evidence on affidavit, (iv) requisitioning any public record or copies thereof from any court of office, (v) issuing interim orders, (vi) imposing costs as it deems fit having regard to the facts and circumstances of the case. The Adjudicating Officer shall not be required to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(8) If any person fails, neglects or refuses to appear as required under sub-rule (7), the Adjudicating Officer may proceed with the adjudication proceedings in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

**6. Orders of the Adjudicating Officer**

(1) If, upon consideration of the evidence produced, the Adjudicating Officer is satisfied that there is no breach of terms and conditions of authorisation or assignment under sub-section (1) of section 32 of the Act, or contravention as specified in the Third Schedule of the Act, the Adjudicating Officer shall pass an order by recording reasons for the same and close the inquiry.

(2) Upon consideration of the evidence produced, if the Adjudicating Officer is satisfied that the person has committed a breach or contravention under the Act, the Adjudicating Officer shall:

(a) pass an order under sub-clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Act, or sub-section (1) of section 33 of the Act, as the case may be; or

(b) make recommendations to the Central Government under sub-clause (b) of sub-section (1) of section 32 of the Act.

(3) Every order or recommendation made under sub-rule (2) shall specify the provisions of the Act, rules, notifications, directions, orders, or any terms and conditions of authorisation or assignment, in respect of which the breach of terms and conditions or contravention has taken place and shall contain reasons for such decision.

(4) If the order passed under clause (a) of sub-rule (2) imposes any penalty specified in the Second or Third Schedule to the Act, the Adjudicating Officer shall have due regard to:

(a) the factors in sub-section (3) of section 32 of the Act; and

(b) any voluntary undertaking submitted under rule 8, read with sub-section (5) of section 34 of the Act.

(5) Any penalty imposed on an authorised entity or assignee, by an order passed under clause (a) of sub-rule (2), shall be in addition to any liability in respect of payment of compensation or payment of fees or charges due by such authorised entity or assignee.

(6) The Adjudicating Officer shall normally conclude the inquiry under rule 5 within ninety calendar days from the date of issuance of the notice under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 5. The Adjudicating Officer may, upon recording of cogent reasons in writing, extend such period, for a period not exceeding one hundred and twenty calendar days from the date of issuance of notice under sub rule (1) or sub-rule (2) of rule 5.

(7) A copy of the order made under sub-clause (a) of sub-rule (2) shall be made available to the person against whom the order is made as per rule 19.

**7. Voluntary Undertaking prior to initiation of inquiry by the Adjudicating Officer**

(1) Any authorised entity or assignee may, prior to any notice of inquiry under rule 5, *suo moto* submit a voluntary undertaking to the Adjudicating Officer as provided under sub-section (1) of section 34, disclosing a breach or contravention that it may have committed, and measures taken or proposed to be taken to mitigate such breach or contravention, including any undertaking as specified under sub-section (6) of section 34 of the Act.

(2) The Adjudication Officer may accept the voluntary undertaking or may vary the terms included in such voluntary undertaking subject to sub-section (7) of section 34 of the Act. No proceedings or actions shall be undertaken upon acceptance of the voluntary undertaking, unless and to the extent of non-compliance of such voluntary undertaking.

**8. Voluntary Undertaking after initiation of inquiry by the Adjudicating Officer**

(1) At any time after the issuance of notice under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 5 and before the completion of hearings under sub-rule (7) of rule 5, the authorised entity or assignee may submit a voluntary undertaking to the Adjudicating Officer under sub-section (4) of section 34 of the Act, disclosing mitigation measures proposed to be taken to remedy the breach or contravention, including any undertaking as specified under sub-section (6) of section 34 of the Act.

(2) The Adjudicating Officer may accept the voluntary undertaking or may vary the terms included in such voluntary undertaking subject to sub-section (7) of section 34 of the Act.

**9. Non-compliance with Voluntary Undertaking**

(1) Where an authorised entity or assignee fails to comply with the terms and conditions of a voluntary undertaking accepted by the Adjudicating Officer under rule 7 or rule 8, the Adjudicating Officer shall issue a notice to such entity to show cause as to why action under sub-section (8) of section 34 of the Act should not be taken.

(2) The authorised entity or assignee, as the case may be, shall respond to such notice, within seven calendar days from the date of issue of such notice.

(3) If the authorised entity or assignee does not submit a response within the time specified under sub-rule (2), it would be deemed to have accepted the non-compliance, and the Adjudicating Officer shall proceed to issue an order under sub-section (8) of section 34 of the Act.

(4) If authorised entity or assignee submits a response within the time specified under sub-rule (2), the Adjudicating Officer shall consider such response while issuing an order under sub-section (8) of section 34 of the Act.

## CHAPTER 3: APPEALS BEFORE THE DESIGNATED APPEALS COMMITTEE

**10. Appeal to the Designated Appeals Committee**

(1) Any person aggrieved by an order of the Adjudicating Officer under rule 6 or rule 9, may submit an appeal in the form as may be specified from time to time, within a period of thirty calendar days from the date of receipt of the order of Adjudicating Officer, along with a copy of the order against which the appeal is sought. The appeal shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees payable through such mode(s) as specified.

(2) The appeal shall set forth concisely and under distinct heads the grounds of objection to the order appealed against, the date on which such order was served on the appellant, and specify the email

address as well as the physical address, at which further notices or other processes may be served on the appellant.

(3) Any notice required to be served on the appellant shall be served on him in the manner specified in rule 19 at the address for service specified in the appeal.

(4) In case of any delay in submission of the appeal, the Designated Appeals Committee may condone the delay up to a maximum of thirty calendar days in submitting the appeal with reasons to be recorded in writing or refuse to entertain the appeal due to the delay.

**11. Proceedings for hearing of appeal by Designated Appeals Committee**

(1) On receipt of an appeal, the Designated Appeals Committee shall send a copy of the appeal, together with a copy of the order appealed against, to the Adjudicating Officer who passed such order or to the Adjudicating Officers who have been appointed in place of the Adjudicating Officer who passed such order.

(2) The Designated Appeals Committee shall then issue notices to the appellant and the Adjudicating Officer fixing a date for hearing of the appeal.

(3) The Designated Appeals Committee is vested with the powers of a civil court including : (i) the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document or things, (ii) requiring the discovery of inspection of documents, (iii) receiving evidence on affidavit, (iv) requisitioning any public record or copies thereof from any court of office, (v) issuing interim orders, (vi) imposing costs as it deems fit having regard to the facts and circumstances of the case. The Adjudicating Officer shall not be required to observe the provisions of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) or the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(4) The appellant may appoint one authorised representative to appear, plead and act on his behalf before the Designated Appeals Committee.

(5) On the date fixed for hearing of the appeal or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, the appellant or the authorized representative, as well as the Adjudicating Officer, shall be heard.

(6) Where on the date fixed, or any other day to which the hearing of the appeal may be adjourned, if the appellant or the Adjudicating Officer fail to appear when the appeal is called for hearing, the Designated Appeals Committee may decide the appeal based on the written submissions of the appellant and the order of the Adjudicating Officer on record, within sixty days from the date of such appeal.

**12. Order of the Designated Appeals Committee**

(1) The order of the Designated Appeals Committee shall be in writing and state briefly the reasons for the decision, and shall be served on the appellant under rule 19.

(2) Any penalty imposed on an authorised entity or assignee by the Designated Appeals Committee, shall be in addition to any liability in respect of payment of compensation or payment of fees or charges due by such authorised entity or assignee.

## CHAPTER 4: MISCELLANEOUS PROVISIONS

**13. Proceedings before the Adjudicating Officer and Designated Appeals Committee**

The Adjudicating Officer and the Designated Appeals Committee shall have the same powers as a civil court, and all proceedings before it shall be deemed to be judicial proceedings in accordance with sub-section (2) of section 37 of the Act.

**14. Representation of parties**

In case of proceedings before the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee, if the party is represented by its authorised representative, a copy of such authorisation in favour of the representative and the written consent thereto by such authorised representative shall also be appended to the response to notice, or appeal, as the case, may be, and if the authorised representative is an employee of the party, the document shall state the capacity in which he is at the time employed.

**15. Giving False Evidence Before the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee**

Whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings before the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee or fabricates false evidence for the purposes of being used in any of the proceedings, shall be punishable in accordance with Section 229 of the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

**16. Consolidated Fund of India**

All sums by way of realization of penalties and fee under section 32 or section 33 of the Act and under these rules, shall be credited to the Consolidated Fund of India.

**17. No abatement of proceedings**

If a person alleged to have committed a breach or contravention, or an appellant, as the case may be, being an individual, dies or is adjudicated insolvent, or being a company, is wound up, the proceedings before the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee, as the case may be, shall not abate and shall be continued by the executor, administrator or other legal representative of such person.

**18. Rectification of mistake or error**

After the issuance of order under rule 6, rule 9 or rule 12 of these rules, if there is any mistake or any error apparent in such order, the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee, as the case may be, may *suo motu*, or on an application from any person against whom such order was passed, rectify such mistake or error as soon as possible.

**19. Service of Notices and Publication of Orders**

A notice issued under these rules shall be served on any person in any of the following manner:

(a) by delivering or tendering the notice to that person or his duly authorised person through email correspondence; or

(b) by sending the notice by registered post with acknowledgment due to the address of his place of residence or his last known place or residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain; or

(c) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain and that written report thereof should be witnessed by two persons; or

(d) if the notice cannot be served under clause (a) or clause (b) or clause (c), by publishing in a leading newspaper (both in vernacular and in English) having wide circulation of area or jurisdiction in which the person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or last worked for gain.

(e) by publishing electronically on the portal.

**20. Techno-legal Measures**

(1) The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including for:

(a) submission of complaints, appeals, voluntary undertakings, notices, responses, documents and clarifications, and forms as may be specified with regard to such submissions;

(b) communications from the offices of the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee;

(c) publication of orders of the Adjudicating Officer or Designated Appeals Committee;

(d) hearings by virtual mode; and

(e) maintaining a record of the cases, proceedings, orders, forms, and any other requirements under these rules.

(2) After notification of the poral, the orders of the Adjudicating Officer and Designated Appeals Committee shall be digitally signed and shall be conveyed through electronic mode to all parties.

**21. Enforcement**

(1) Any order made by the Adjudicating Officer under rule 6 or rule 9, or the Designated Appeals Committee under rule 12, shall be executable in the same manner as if it were a decree of a civil court as specified under section 38 of the Act.

(2) Any order made by the Adjudicating Officer under rule 6 or rule 9, or the Designated Appeals Committee under rule 12, shall be deemed to be final decrees on the expiry of the period allowed for preferring an appeal against such orders as provided in section 36 and section 39 of the Act.

**22. Recovery of dues**

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due under these rules shall, if not paid, be recovered as an arrear of land revenue.

[F. No. 24-02/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024-07-16 19:40:29 +05'30'